न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 217/2011
प्रविष्टि दिनांक 09.06.2011

कृषि उपज मण्डी सोहेला समिति टोंक जरिए सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति टोंक राज0

.... प्रार्थी

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2— परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

3— तहसीलदार, पीपलू जिला—टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्व अवार्ड प्रकरण संख्या 520/2009 में पारित निर्माण/संरचना के मुआवजे बाबत।

उपस्थित (1) श्री सरवर अली,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामअवतार सोनी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—3

निर्णय

दिनांक 9—12—2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे सोहेला तहसील पीपलू की भूमि ख0नं0 2385/3 में से अवाप्त भूमि पर हो रहे निर्माण एंव संरचनाओं का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा 2382432/रूपये निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा प्रार्थी को सुने बिना बहुत कम निर्धारित किया गया है ओर वाणिज्यिक दर की जगह कृषि भूमि की दर से निर्माण कार्य की अनदेखी कर सही माप क्षेत्रफल अंकित नहीं कर किया गया है। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा मनमाने ढंग से वास्तविक निर्माण को सम्मिलित नहीं कर गलत बीसीआर व क्षेत्रफल की गणना के आधार किया गया है। [illegible] मण्डी सोहेला द्वारा प्राधिकृत एक्जीकेटिव इंजीनियर व असिस[illegible] डिवीलन टोंक द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2385 में से अवाप्त भूमि पर हो रहे निर्माण/संरचनाओं के सम्बन्ध में लेनीकरण में ध्वस्त किया जावेगा उस नुकसान की वेल्युएशन मांगे [illegible] पर 4823603/रूपये जिस पर बोर्ड सुपरविजन चार्ज 12.75 प्रतिशत एड करने पर कुल

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.—12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:40 IST
Reason: SelfAttested

5438612/रूपये बताया था। अतः अवाप्त भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य व क्षेत्रफल का सही आंकलन कर नियमानुसार मुआवजा राशि 5438612/रूपये और उस पर नियमानुसार ब्याज दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 520/2009 दिनांक 3–6–2010 तलब की गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित बहस में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2385/3 में से 0.2000 वर्गमीटर ग्राम सोहेला तह0 पीपलू अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। अवाप्त शुदा भूमि में स्थित सरंचनाओं/निर्माण की मुआवजा राशि के निर्धारण बाबत मै0 अजीत सर्वे एण्ड कन्सल्टेंटस प्रा0 लि0 जयपुर से मूल्यांकन कर मूल्यांकन की जॉच जिला नगर नियोजक टोंक के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक सम्बन्धित भू अभिलेख निरी0 एंव पटवारी द्वारा जॉच की गई। धारा 3 ए (1) के अधिसूचना दिनांक 14–7–2009 को प्रभावी बेसिक शिडयूल आफ रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाना उचित समझा गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति निर्माण/संरचना व उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने बिना भूमि के रूपान्तरण के कृषि भूमि का उपयोग आवासीय अथवा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि के हिसाब से ही दी गई है जो पूर्णतया सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 520/2009 दिनांक 3–6–2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 ख0नं0 2385/3 में से 0.2000 वर्गमीटर किस्म बारानी–3 का डी.एल.सी. दर से ग्राम सोहेला का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण कर नियमानुसार हितबद्ध व्यक्ति के नाम जमा किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के समय अधिग्रिहित उक्त भूमि व्यवसायिक रुपान्तरित न होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक भूमि की दर से मुआवजा चाहा ग[illegible] वाणिज्यिक भूमि के संबंध मे संपरिर्वतन आदेश तथा अन्य [illegible] किया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजम[illegible] कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड मै0 अजीत सर्वे एण्ड कन्सल्टेंटस [illegible] से मूल्यांकन कर मूल्यांकन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:57:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

जॉच जिला नगर नियोजक टोंक के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक सम्बन्धित भू अभिलेख निरी0 एंव पटवारी द्वारा जॉच की गई उसके आधार पर जारी किया गया है जो उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 9–12–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:57:40 IST
Reason: SelfAttested